कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 2670/2015 श्री लोकेश भारती बनाम सरकार व अन्य में दिनांकः—05.12.2016 द्वारा एसबीसियासं 2140/2017 श्री बिजेन्द्र सिंह मीणा बनाम सरकार में जारी निर्णय से कवर करते हुए अपील में जारी स्थगन आदेश को कन्फर्म करते हुए विभाग को प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में जारी करने की स्वतन्त्रता प्रदान की थी जिसकी अनुपालना में विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.07.17 जारी करते हुए श्री लोकेश भारती प्रधानाचार्य, को राउमावि, मेवाडों का मठ, उदयपुर एवं श्री चन्द्रप्रकाश रांका प्रधानाचार्य को राउमावि, सीसारमा उदयपुर में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रसारित किये गए थे।

श्री लोकेश भारती द्वारा विभाग के उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 1031/2017 श्री लोकेश भारती बनाम सरकार दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2017 को आदेश पारित करते हुए स्थगन प्रार्थना—पत्र पर अन्तरिम आदेश जारी करते हुए विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 06.07.2017 का कियान्वयन अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या—3 श्री चन्द्रप्रकाश रांका की सीमा तक अधिकरण की आगामी दिनांक 03.08.17 तक स्थगित किया था जो आज दिनांक तक प्रभावी है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.17 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या—3 **श्री चन्द्रप्रकाश रांका प्रधानाचार्य, राउमावि सीसारमा, गिर्वा—उदयपुर का स्थानान्तरण राउमावि मेवाडों का मठ, कोटडा, उदयपुर किया जाता है** एवं श्री लोकेश भारती न्यायालय स्थगनादेश के आधार पर अग्रिम/अन्तिम निर्णय होने तक प्रधानाचार्य राउमावि सीसारमा, गिर्वा—उदयपुर में कार्यरत रहेंगें। **उक्त दोनों पदस्थापन प्रकरण पूर्णतः माननीय् न्यायालय द्वारा अग्रिम/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन जारी किये जा रहे हैं।** सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा—माध्य/संस्था/बी—2/अपील/1031/2017/लोकेश भारती दिनांकः 29.12.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
5. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर